C.J (J.D.) G.B. Nagar
OS. NO. 506/17-
Chandrah / Sjoidadi
C.N.R NO. - UPGB060090242017

22-03-18

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि वादी को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त और उसके साक्ष्य ग्रहण करने के उपरान्त तीन सदस्यीय कमेटी, जिसकी अध्यक्षता विधि शर्मा द्वारा की गई। उनकी संस्तुति दिनांक 23–1–18 के आधार पर वादी कनवर सिंह को निष्कासित (टर्मीनेट) किया गया। जब कि वादी अधिवक्ता का यह कथन है कि वादी को ऐसी किसी कमेटी के समक्ष सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, न ही वादी का कोई साक्ष्य संकलित किया गया। कमेटी ने बिना किसी साक्ष्य के और बिना किसी रिकार्ड के वगैर सुनवाई का अवसर दिये हुए वादी को वाद दायर करने के उपरान्त निष्कासित कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह निष्कासन के सम्बन्ध में जो प्रकिया एवं साक्ष्य एकत्र किये गये, उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे यह इंगित हो सके कि वाद दायर करने के उपरान्त विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए वादी को निष्कासित (टर्मीनेट) किया गया है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह निष्कासन सम्बन्धी सम्पूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर आने तक जो वाद दायर करने की तिथि पर वादी की जो स्थिति थी उसमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करें । पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 27–03–18 को पेश हो।

न्यायालय सिविल जज प्रतिलिपि विभाग गौतम बुद्ध नगर

Gaurav Kumar 22-03-18

सिविल जज, जू0डि0 / जे0एम0

गौतमबुद्धनगर।

24.3.2018

आज यह वाद पेश हुआ। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा 37ग व 36ग दस्तावेज पेश किया गया। पेश होकर आदेश हुआ कि– K.O.F. and Put up on date fixed.

CJ(J.D.)

फोटो सत्य प्रतिलिपि

27.3.18

प्रतिलिपिक

जनपद ... , गौतम बुद्धनगर